केवल जागरूकता के लिए
नागपुरी

स्त्रीधन
ले कानून कर जानकारी

परिचय

हिन्दू अधिनियम कर मोताबिक, एगो जनाना आपन जिनगी में जे कुछ परवेला, ऊ उकर स्त्रीधन कहायला। स्त्रीधन में गोटेक जनाना के उकर बियाह कर पहिले, बियाह बेरा, छउवा कर जनम कर बेरा उकर बिधवा होवल बेरा जे कुछ परवेला। सभे किसीम कर चल, अचल सम्पइत, दान मन आवयँना। स्त्रीधन दहेज से इ बात में अलग हय कि जनाना (स्त्री) के उकर बियाह कर पहिले चाहे बियाह कर पाछि आपन मन से देवल जायला। इकर पे जबरदस्ती कर कोनो बात नी रहेला।

स्त्रीधन कर माने

स्त्रीधन इ सब्द 'स्त्री' माने जनाना आउर धन माने सम्पइत से सरजल रहेला। ई लखि दुइयो सब्द के मेसाय देल पर स्त्रीधन कर माने 'स्त्री कर सम्पइत' मिलल से होवेला। कोनो किसीम कर चल आउर अचल सम्पइत जइसे - नगद, गहना, जमा निवेश प्राप्ति चाहे के कोनो रूप पें स्त्रीधन होय सकेला। 'प्रतिभा रानी बनाम सुरज कुमार' कर मामला पे माननीय सुप्रीय कोर्ट स्त्रीधन कर सूचि में राइख हयँ'-

- बियाह बेरा देवल दान।
- कनिया कर बिदा बेरा माने जब कनिया माँय-बाप कर घर से रो आवन दुल्हा कर घर जायला, से बेरा देवल दान।
- साइस आउर ससुर के गोड़ लागेक बेरा कनिया के आसिरवाद कर बेरा दुलार से मिलल दान।
- कनिया के बाप से मिलल दान।
- कनिया के माय से मिलल दान।
- कनिया के भाई से मिलल दान।

'स्त्रीधन' कइसे पावल जायल :-

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 कर धारा-14 कर मोताबिक जब तकि युक्ति, दान, डिक्री, आदेस चाहे इनाम कर सर्व पें दोसर बरनन ना होवे, एगो स्त्री बट से हेंठे लिखल स्रोत से पावल सम्पइत उकर 'अवाधित' सम्पइत होवी। सेले ई किसीम कर सम्पइत अरजेक कर स्रोत हेंठे लिखल पे से रामे चाहे उकर मेल होय सकेला।

1. दान (चल आउर अचल सम्पइत दुइयो) ई चाहे बियाह कर पहिले सादी कर पाटिले। सादी बेरा चाहे सादी कर बाद मिल होवे (पाय होवे)।
2. पारिवार कर बखारो बेरा ''एकांतिक भाग'' कर रूप में पावल (कुटुम्ब) सम्पइत।
3. कोनवे सुलह कर कल कर रूप में पावल सम्पइत।
4. नौकरी, पेसा, बेपार आदि से कमाल आउर जमा कर सम्पइत।
5. भरन-पोसन (पालेक-पोसेक) कर बदला से पावल सम्पइत।
6. आपन स्त्रीधन से किनल सम्पइत।
7. एगो जनाना के विरासत में पावल सम्पइत।
8. कोनवे किसीम से अरजल सम्पइत डिक्री चाहे पुरस्कार (अवार्ड) चाहे 'प्रतिकूल कब्जा' से पावल सम्पइत।

सम्बद्ध कानून कर अन्तर्गत आवेदन –

एक स्त्री (जनाना) के स्त्रीधन कर अधिकार कानून बट से संरक्षित (बचाल) हय। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 कर धारा-14 आउर हिन्दू बियाह अधिनियम, 1955 कर धारा 27 के एक संगे पदेक पर - ''हियाँ तक कि अगर स्त्रीधन उसके पति आउर सोसराइर वाला मनकर कब्जा में होवे, उकर ट्रस्टी बुझल जावयँ। आउर स्त्री बट से कोनवे मेरा मांगल जायक पर उके घुरायक ले बाध्य होवयँ।

घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 कर धारा-12 घरेलू हिंसा से ''पीड़ित जनाना के स्त्रीधन कर अधिकार देवेल। ई अधिनियम कर प्रावधान कर परयोग स्त्रीधन कर वसूली ले अलघटे करल जाय एकेला।

मजिस्ट्रेट प्रतिवादी के 'पीड़िता' के स्त्रीधन चाह दोसर सम्पइत चाहे (दामी) मूल्यवान प्रतिपूर्ति जेकर ले ऊ हेकदार होवे, चास करेक कर आग्या दे सकेला।

फिर ऐ आनन स्त्रीधन, गहनामन आउर दारेग जरूरी चीज वसुत के पावेक कर हकदार हय। उ अधिनियम कर अन्तर्गत ''आर्थिक प्रताड़ना'' करेभो परिभाषा देवल जावहे।

आवश्यक तथ्य –

एगो जनाना के उकर बट से बियाह कर पहिले, बियाह कर बेरा आउर बियाह कर पहिले आपन परिवार, संगी आउर जानेक वाला मन से मिलल दान आउर सम्पइत कर सूची बनायल चाहि।

स्त्री (जनाना) के मिलल समे दान मनकर कागज-पत्र, रसीद मन के राखेल चाहि।

❑❑❑

प्रकाशन वर्ष : 2019

केवल जागरूकता के लिए

द्वारा प्रकाशित

झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

न्याय सदन, ए.जी.कार्यालय के समीप, डोरण्डा, राँची, फोन : 0651.2481520, फैक्स : 0651.2482392

ईमेलः jhalsaranchi@gmail.com, वेबसाइट : www.jhalsa.org, यह पाठ्य सामग्री झालसा के वेबसाइट ***"www.jhalsa.org"*** पर भी उपलब्ध है।